

सं० सं०-३/सी०एस०/एम०-३४/२०२१ ..1401.....

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
जिलों के सभी प्रभारी सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,
सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक

पटना-१५, दिनांक-16/12/2021

विषय : माननीय मुख्यमंत्री की 'समाज सुधार यात्रा' के कार्यक्रम के संबंध में।
महाशया/महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक-22.12.2021 से राज्य में 'समाज सुधार यात्रा' का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह यात्रा राज्य के 6 प्रमण्डलों के एक एक जिले में तथा तीन प्रमण्डलों यथा पटना, मुंगेर और तिरहुत के दो दो जिलों में निर्धारित है। प्रमण्डल के अन्य जिले चिह्नित जिलों के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान भ्रमण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की जन-सभा होगी एवं तदुपरान्त राज्य में चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जायेगी। 'समाज सुधार यात्रा' का कार्यक्रम निम्नप्रकार है :-

भ्रमण तालिका

क्रमांक	तिथि	सभा स्थल	जुड़ने वाले जिले
1	22.12.2021	मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण
2	24.12.2021	गोपालगंज	सिवान, सारण, गोपालगंज
3	27.12.2021	सासाराम	भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर
4	29.12.2021	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर
5	30.12.2021	समस्तीपुर	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
6	04.01.2022	गया	गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद
7	06.01.2022	बेगूसराय	मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा
8	08.01.2022	जमुई	जमुई, खगड़िया, लखीसराय
9	11.01.2022	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज

10	12.01.2022	मधेपुरा	सहरसा, मधेपुरा, सुपौल
11	13.01.2022	भागलपुर	भागलपुर, बांका
12	15.01.2022	पटना	पटना, नालंदा

02. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की जन-सभा में जिलों के जीविका-समूह की महिलाएँ भाग लेंगी, जिसमें राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों एवं निर्णयों पर केन्द्रीत विचार रखे जायेंगे। इन सभाओं में लाभुकों द्वारा भी अपने विचार रखे जायेंगे।

03. इन जन-सभाओं में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, सम्बन्धित जिले के प्रभारी सचिव एवं पुलिस महानिदेशक भाग लेंगे।

04. समीक्षात्मक बैठकों में निम्नांकित विन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी :-

क्र०	विषय	विभागीय पदाधिकारी जो बैठक में भाग लेंगे।
i.	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से संबंधित कार्य।	अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग।
ii.	दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कृत कार्य।	अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग।
iii.	गृह विभाग से संबंधित कार्य।	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग।
iv.	सतत जीविकोपार्जन योजना संबंधी कार्य।	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
v.	हर घर नल का जल योजना के कार्य।	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
vi.	पक्की नाली-गली योजना के कार्य।	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
vii.	लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-2 के तहत निर्मित शौचालय संबंधी कार्य।	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
viii.	धान की अधिप्राप्ति।	सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सचिव, सहकारिता विभाग।

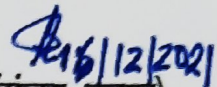
05. 'समाज सुधार यात्रा' की समीक्षात्मक बैठक में संबंधित जिले के जनप्रतिनिधियों यथा प्रभारी मंत्री, जिले के निवासी मंत्री तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मा० मंत्री उपस्थित रहेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा इन महानुभावों से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहने हेतु अनुरोध किया जाय। इसके अतिरिक्त समीक्षात्मक बैठक के लिए निर्धारित विषयों से संबंधित विभागों के माननीय मंत्रीगण इस बैठक में वी०सी० के माध्यम से जुड़ेंगे। इन समीक्षात्मक बैठकों में स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे, परन्तु बैठक की विषय-वस्तु कंडिका-4 में उल्लेखित विन्दुओं पर ही सीमित रहेगी।

06. सम्बन्धित जिला पदाधिकारी आयोजित जन-सभा के कार्यक्रम हेतु सुरक्षा एवं सौजन्य की दृष्टि से उपयुक्त स्थल का चयन कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे।

अतः अनुरोध है कि 'समाज सुधार यात्रा' के दौरान इन आयोजनों एवं समीक्षा बैठकों में सभी संबंधित पदाधिकारीगण पूर्ण तैयारी के साथ ससमय उपस्थित रहने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक- समीक्षात्मक बैठक से संबंधित समीक्षा
के विन्दुओं का फार्मेट इस पत्र के साथ संलग्न है।

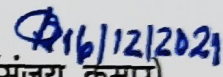
विश्वासभाजन


(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-34/20211401...../पटना-15, दिनांक-16/12/2021

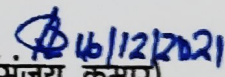
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया उक्त तिथियों को कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए अवगत कराने की कृपा की जाय।


(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-34/20211401...../पटना-15, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

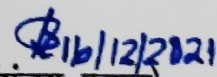

(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-34/20211401...../पटना-15, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला के निवासी सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

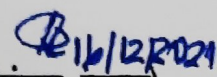
अनुरोध है कि माननीय मंत्रीगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।


(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-34/20211401...../पटना-15, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित


(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-34/20211401...../पटना-15, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2021
(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-34/20211401...../पटना-15, दिनांक-16/12/2021

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/12/2021
(संजय कुमार)
अपर मुख्य सचिव